



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 44

पटना, बुधवार,

7 कार्तिक 1947 (श10)

29 अक्टूबर 2025(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-17
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	18-19
पूरक	---
पूरक-क	20-20

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

17 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-02/2025 सा०प्र० 19899—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक / कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी —सह-जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-138 दिनांक 14. 10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु मतदान की समाप्ति तक के लिए	बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

16 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-02/2025 सा०प्र० 19726—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को नवादा जिला में

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक / कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-40 दिनांक 11.10. 2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	विधान सभा चुनाव अवधि तक के लिए	बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	नवादा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

14 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-02/2024 सा०प्र० 19614—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को वैशाली जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि I	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-1250 दिनांक 08.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु	निर्वाचन कार्य/ विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	वैशाली

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

9 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2024 सा०प्र 19178—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को समस्तीपुर जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/ अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह— जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक—115 दिनांक 29.09.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा—15	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

9 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०—13—02/2025 सा०प्र० 19179—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ—2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को कटिहार जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/ अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह— जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक—62 दिनांक 03.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा—15	विधान सभा चुनाव अवधि तक के लिए	बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	कटिहार

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

8 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०—13—03/2024 सा०प्र० 19139—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ—2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधेपुरा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-43 दिनांक 03.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधेपुरा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

7 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2024 सा०प्र० 18944—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधुबनी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर एवं आगामी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला दंडाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-3671 दिनांक 24.09.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	दुर्गा पूजा त्योहार, 2025 के अवसर पर एवं अगले एक वर्ष के लिए	विधि व्यवस्था संधारण हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधुबनी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

15 अक्टूबर 2025

सं० कौन/भी-812/2001-314/सी०—चारा घोटाला से संबंधित सी०बी०आई० काण्ड सं०-आर०सी० 5(ए)/2000 पैट के नामजद अभियुक्त श्री धर्मदेव तिवारी, तत्कालीन सहायक कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-15.04.2006 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री तिवारी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी, जो निम्नवत् है:-

Accused persons namely KunjBihari Thakur, Ashok kr. Singh, Ramdeo Prasad, Mahodar Ram, Jagdish Sharma, Prabhakar Ganguli, Dharamdeo Tiwari, Mrs. Vibha Kumari and Ram Niwash Sharma also found and held guilty u/s 420 IPC and u/s 13(2) r/w 13(1)(d) of P.c. Act.

.....Considering the limited extent of their involvement the convicts namely (1) Kunj Bihari Thakur, (2) Ashok kr. Singh, (3) Mahodar Ram, (4) Dharamdeo Tiwari, (5) Mrs. Vibha Kumari, (6) Ramdeo Prasad, (7) Ram Niwas Sharma, (8) Jagdish Sharma and (9) Prabhakar Ganguli are hereby sentenced to undergo the following terms of punishment and fine:

U/s 420 IPC and U/s 13(2) r/w 13(1) (d) of P.C. Act	R.I. for three years and to pay a fine of Rs. 25,000/- separately in both the sections, I.D. three months S.I.
---	--

उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री तिवारी के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में वर्णित प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-243/सी(अनु0), दिनांक-05.08.2024 द्वारा श्री तिवारी को कारण पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया। तदालोक में श्री तिवारी द्वारा दिनांक-16.08.2024 को अपना कारण पृच्छा जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री तिवारी द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि सी०बी०आई० काण्ड सं०-आर०सी० 5(ए)/2000 ए०एच०डी० पैट में पारित आदेश/न्याय निर्णय के विरुद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दिनांक-19.05.2006 को अपील दायर किया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन नं०-668/2006 (Cr.A(SJ) No-668/2006) है जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अतएव श्री तिवारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि जबतक माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा निर्णय/आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है तबतक बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई को स्थगित रखा जाय।

श्री तिवारी द्वारा दिये गये उक्त कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और पाया गया कि माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा उक्त मामले में गहन जाँचोपरांत दिनांक-15.04.2006 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री तिवारी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थ दण्ड की सजा दी गयी है। अतएव श्री तिवारी का कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत कार्रवाई करते हुये उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-177/सी(अनु0) दिनांक-28.05.2025 के द्वारा उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-05/प्र०-36-02/2025 (2787)/लो०से०आ० दिनांक-26.09.2025 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान/व्यक्त की गयी है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत श्री धर्मदेव तिवारी, तत्कालीन सहायक कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति सम्प्रति सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्ति-31.12.1992) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार, अवर सचिव।

15 अक्टूबर 2025

सं० कौन/भी-809/99-315/सी०-चारा घोटाला से संबंधित सी०बी०आई० काण्ड सं०-आर०सी० 55(ए)/96 पैट के नामजद अभियुक्त श्री देवेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-05.05.2012 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री श्रीवास्तव को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी, जो निम्नवत् है:-

On behalf of convict Devendra Prasad Srivastava it has been submitted that he was T.O. and a senior citizen. Considering his involvement in the offence in my opinion a sentence of three years R.I and a fine of Rs.1 lac will meet the ends of justice. Accordingly this convict is hereby sentenced to undergo R.I. for 3 years and to pay a fine of Rs.1 lac U/s 420/120B IPC. In default of Payment of fine convict shall undergo S.I for six months. No separate sentence is awarded under the other sections which have been proved against him.

उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में वर्णित प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-94/सी(अनु0), दिनांक-19.03.2025 द्वारा श्री श्रीवास्तव को कारण

पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया। तदालोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा दिनांक-03.04.2025 को अपना कारण पृच्छा जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के प्रोविजों में (a)(ii) एवं (b) के अनुसार विभाग द्वारा सेवाकाल में 04(चार) वर्षों के पूर्व के किसी मामले में विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जबकि आर०सी०-55(ए)/96 पैट में प्राथमिकी दायर की तिथि से 4 वर्ष 3 माह पूर्व ही वे कोषागार से विरमित हो गये थे और यही शर्त जुडिशियल प्रोसिडिंग के भी मामले में प्रभावी है।

श्री श्रीवास्तव द्वारा दिये गये उक्त कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और पाया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत कार्रवाई करते समय 04 (चार) वर्ष की अवधि की गणना तब की जाती है जब ऐसी विभागीय/न्यायिक कार्यवाही यदि सरकारी सेवक पर निवृत्ति पूर्व या पुनर्नियुक्ति के अवधि में कर्तव्यस्थ रहने पर नहीं चलाई गयी हो। जबकि श्री श्रीवास्तव के सेवाकाल में ही उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति के साथ ही अन्य न्यायिक कार्यवाही चलाई गयी है। श्री श्रीवास्तव पर उनके सेवाकाल में ही कार्यवाही चलने के कारण बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के प्रोविजों(a)(ii) एवं (b) में वर्णित प्रावधान इस मामले में प्रभावी/मान्य नहीं पाया गया। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव का कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-175/सी(अनु0) दिनांक-27.05.2025 के द्वारा उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-05/प्रो०-36-02/2025 (2788)/लो०से०आ० दिनांक-26.09.2025 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान/व्यक्त की गयी है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत श्री देवेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्ति-30.06.2011) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार, अवर सचिव।

15 अक्टूबर 2025

सं० कौन/भी-812/2001-316/सी0-—चारा घोटाला से संबंधित सी०बी०आई० काण्ड सं०-आर०सी० 5(ए)/2000 पैट के नामजद अभियुक्त श्री कुंज बिहारी ठाकुर, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-15.04.2006 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री ठाकुर को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्धदण्ड की सजा दी गयी, जो निम्नवत् है:-

Accused persons namely KunjBihari Thakur. Ashok kr. Singh,Ramdeo Prasad, Mahodar Ram, Jagdish Sharma, Prabhakar Ganguli, Dharamdeo Tiwari, Mrs. Vibha Kumari and Ram Niwash Sharma also found and held guilty u/s 420 IPC and u/s 13(2) r/w 13(1)(d) of P.c. Act.

.....Considering the limited extent of their involvement the convicts namely (1) Kunj Bihari Thakur, (2) Ashok kr. Singh, (3) MahodarRam , (4) Dharamdeo Tiwari, (5) Mrs. Vibha Kumari, (6) Ramdeo Prasad, (7) Ram Niwas Sharma, (8) Jagdish Sharma and (9) Prabhakar Ganguli are hereby sentenced to undergo the following terms of punishment and fine:

U/s 420 IPC and
U/s 13(2) r/w
13(1) (d) of P.C. Act

R.I. for three years and to pay a fine of Rs.
25,000/- separately in both the sections, I.D.
three months S.I.

उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री ठाकुर के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में वर्णित प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-241/सी(अनु0), दिनांक-05.08.2024 द्वारा श्री ठाकुर को कारण पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया। तदालोक में श्री ठाकुर द्वारा दिनांक-24.09.2024 को अपना कारण पृच्छा जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री ठाकुर द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि उन्हें दिनांक-15.04.2006 को सी०बी०आई० काण्ड सं०-आर०सी० 5(ए)/2000 ए०एच०डी० पैट में माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश में दोषी

ठहराया गया था। लेकिन उन्हें सी०बी०आई० कोर्ट, राँची द्वारा जमानत दे दी गयी थी। श्री ठाकुर का कहना है कि चूँकि इस मामले में उनके द्वारा दिनांक-15.05.2006 को माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर आपराधिक अपील नं०-627/2006 विचाराधीन लंबित है, इसलिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में वर्णित प्रावधान अभी लागू नहीं होता है। श्री ठाकुर द्वारा कारण पृच्छा जवाब में यह भी अंकित किया गया की केवल नोटिस निर्गत किये जाने से उनके पेंशन को रोका जाना उचित नहीं है जबतक उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में घोर कदाचार का जाँच परिणाम/निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है।

श्री ठाकुर द्वारा दिये गये उक्त कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और पाया गया कि माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा उक्त मामले में गहन जाँचोपरांत दिनांक-15.04.2006 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री ठाकुर को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। अतएव श्री ठाकुर का कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत कार्रवाई करते हुये उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-177/सी(अनु०) दिनांक-28.05.2025 के द्वारा उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-05/प्रो०-36-02/2025 (2787)/लो०से०आ० दिनांक-26.09.2025 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान/व्यक्त की गयी है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत श्री कुंज बिहारी ठाकुर, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति सम्प्रति सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्ति-31.01.1998) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार, अवर सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

6 अक्टूबर 2025

सं० ग्रा०वि०-R/1/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174600)-4675101—श्री अमरेश कुमार मिश्रा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-280958), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) के विरुद्ध सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना में रूचि नहीं लेने, सरकारी कार्यों में घोर लापरवाही बरतने, जिला पदाधिकारी द्वारा आहूत बैठक में ससमय प्रतिवेदन के साथ उपस्थित नहीं रहने, ससमय किसी मामले में प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने, पंचायत आम निर्वाचन-2021 में स्वेच्छाचारिता बरतने तथा जिला प्रशासन, नवादा की छवि धूमिल करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-724 दिनांक-03.05.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री मिश्रा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1004952 दिनांक-16.06.2022 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। पुनः विभागीय संकल्प संख्या-1407720 दिनांक-01.12.2022 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-2259166 दिनांक-07.11.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मिश्रा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री अमरेश कुमार मिश्रा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप, संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्रा द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मिश्रा द्वारा लिखित रूप में समर्पित अभ्यावेदन में विभागीय निदेश के आलोक में तार्किक जवाब नहीं दिया गया है। इनके अभ्यावेदन में अंकित तथ्य से अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अमरेश कुमार मिश्रा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-280958), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत चेतावनी का दंड दिया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री अमरेश कुमार मिश्रा के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

6 अक्टूबर 2025

सं० ग्रा०वि०-R-504/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-381642)-4680468—श्री कुन्दन, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-126789), तत्कालीन अंचल अधिकारी, परबत्ता (खगड़िया) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) के विरुद्ध वर्ष 2017 में बिहार दाखिल-खारिज अधिनियम की सुसंगत धाराओं का अक्षरशः अनुपालन नहीं करते हुए मूल जमाबंदी से रकवा खारिज किये बिना ही अवैध तरीके से जमाबंदी सृजित करने के आरोप पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-638-(15)/रा० दिनांक-09.04.2024 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) के पत्रांक-1467 दिनांक-08.10.2024 द्वारा श्री कुन्दन का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री कुन्दन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, खगड़िया से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1078 दिनांक-04.06.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में यह प्रतिवेदित किया गया कि यह सही है कि विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण आवश्यक है इससे कार्य नियमानुसार होता है तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है । इनके द्वारा राजस्व कार्यों के प्रशिक्षण के अभाव में प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है । बिहार दाखिल खारिज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुपालन नहीं करने में इनका दुराशय (Malafide Intention) प्रतीत नहीं होता है ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र, श्री कुन्दन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री कुन्दन, तत्कालीन अंचल अधिकारी, परबत्ता (खगड़िया) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) के विरुद्ध संचालित मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त निर्णय के आलोक में मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

6 अक्टूबर 2025

सं० ग्रा०वि०-र-503/28/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-160682)-4675102—श्री विजय कुमार मिश्र, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-213347), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोईलवर (भोजपुर) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ (पटना) के विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर अपराह्न 6:00 बजे तक पी०सी०सी०पी० के डिस्पैच नहीं किये जाने के कारण सेक्टर/जोनल/सुपर जोनल दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग में काफी विलंब होने तथा निर्वाचन जैसे अति संवेदनशील प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-48 दिनांक-02.02.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री मिश्र द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-2093729 दिनांक-19.09.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-3581388 दिनांक-16.01.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित 05 आरोपों में से 01 आरोप प्रमाणित 02 आरोपों को अप्रमाणित एवं 02 आरोपों को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) तक तहत श्री मिश्र से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी।

श्री विजय कुमार मिश्र के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त आरोप, संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर अपराह्न 6:00 बजे तक पी०सी०सी०पी० के डिस्पैच नहीं किये जाने के कारण सेक्टर/जोनल/सुपर जोनल दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग में काफी विलंब होने तथा निर्वाचन जैसे अति संवेदनशील प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री विजय कुमार मिश्र, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-213347), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोईलवर (भोजपुर) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ (पटना) को 'निन्दन' (आरोप वर्ष-2021) की शास्ति अधिरोपित की जाती है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री विजय कुमार मिश्र के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर 2025

सं० ई२-2-93/2024-5098-37—श्री विनय कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (HRMS-Employee ID-10132425) को स्वयं, पुत्र एवं पत्नी की चिकित्सा एवं अन्य कारणों से उनके द्वारा अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-PCFC/ELECTION/BELS/2019/0103-1267(23) दिनांक 02.09.2025 से प्राप्त आदेयता तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-232 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 18.05.2017 से 16.06.2017 तक (30 दिन), दिनांक 23.10.2017 से दिनांक 13.11.2017 तक (22 दिन), दिनांक 20.10.2020 से दिनांक 04.11.2020 तक (16 दिन), दिनांक 02.09.2021 से दिनांक 07.09.2021 तक (06 दिन), दिनांक 23.09.2021 से दिनांक 22.10.2021 तक (30 दिन), दिनांक

10.11.2021 से दिनांक 24.11.2021 तक (15 दिन), दिनांक 17.06.2024 से दिनांक 20.08.2024 तक (65 दिन) एवं दिनांक 23.09.2024 से दिनांक 12.10.2024 तक (20 दिन) कुल 204 (दो सौ चार) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री विनय कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (HRMS-Employee ID-10132425) को स्वयं एवं पत्नी की चिकित्सा/रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-PCFC/ELECTION/BELS/2019/0103-1267(23) दिनांक 02.09.2025 से प्राप्त आदेयता तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-232 एवं 234 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 13.10.2024 से 26.11.2024 तक (45 दिन) एवं दिनांक 29.11.2024 से 17.12.2024 तक (19 दिन) कुल 64 दिनों के चिकित्सा/रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

Office Order
The 15th October 2025

No. XI-K-रा०-01/2024-177---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-903, dated- 20.09.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Sushil Kumar Chaudhary	Assistant Statistical Officer, Aurangabad	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 13.10.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 22nd July 2025

No. XI-K-रा०-05/2024-118---In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-515, dated- 08.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Dr. Anil Kumar Tiwari	ADM, Nawada	District Level
02	Sri ShambhuSharan Pandey	ADM(DPGRO), Nawada	District Level
03	Sri Abhay Kumar Tiwari	DLAO, Nawada	District Level
04	Sri Alok Kumar	DCO, Nawada	District Level

05	Sri Indrajeet Kumar	Subdivisional Agriculture Officer, Rajauli	Subdivisional Level
----	---------------------	---	---------------------

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 17.07.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 25th July 2025

No. XI-K-रा०-03/2024-120---In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.-420, dated- 07.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Dr. Priti, IAS	DDC-cum-Chief Executive Officer, JilaParishad, Jehanabad	District Level
02	Sri Anil Kumar Sinha	ADM-cum- Additional District Magistrate, Jehanabad	District Level
03	Sri Rajeev Kumar	ADM(DPGRO), Jehanabad	District Level
04	Sri Chandra Kishore Singh	DLAO-Cum-District Certificate Officer, Jehanabad	District Level
05	Sri Sujit Kumar	DPRO, Jehanabad	District Level
06	Miss. NehaKumari	SDC, Jehanabad	District Level
07	Smt. Amu Amla	DCLR, Jehanabad	Subdivisional Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 24.07.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 26th July 2025

No. XI-K-रा०-04/2024-121---In the light of proposal received from District Magistrate, Arwal vide letter no.-280, dated- 21.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Sanjeev Kumar	SDO, Arwal	Sub-Division Level
02	Sri RatanPravej	DCLR, Arwal	Sub-Division Level

03	Sri Nityanand Prasad	Superintendent, Excise & Prohibition, Arwal	District Level
04	Sri Ravindra Kumar Das	District Welfare Officer, Arwal	District Level
05	Sri Karmveer Dwivedi	District Fisheries Officer, Arwal	District Level
06	Md. Asgar Alam	District Education Officer, Arwal	District Level
07	Miss. Akanksha Verma	District Cooperative Officer, Arwal	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Jdt 25.07.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 5th August 2025

No. XI-K-रा०-02/2024-128---In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya ji vide letter no.-647, dated- 31.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Aditya Kumar Piyush	ADM-Cum-DPGRO, Gaya Ji	District Level
02	Sri Krishna Murari Gupta	DEO, Gaya Ji	District Level
03	Sri Mithlesh Kumar	DCO, Gaya Ji	District Level
04	Sri Navendu Singh	Mines Development Officer, Gaya Ji	District Level
05	Smt. Ananya	DPO, SSA, Gaya	District Level
06	Smt. Priyanka Kaushik	DCLR, Sherghati	Sub-division Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 04.08.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 5th August 2025

No. XI-K-रा०-01/2024-129---In the light of proposal received from District Magistrate, Aurangabad vide letter no.-815, dated- 31.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Kundan Kumar	Assistant Project Officer, DRDA, Aurangabad	District Level
02	Smt. Priyanka Kumari	Assistant Planning Officer, Aurangabad	District Level
03	Sri Santosh Kumar Chaudhary	Assistant Director, District Child Protection Unit, Aurangabad	District Level
04	Sri Sandeep Raj	Assistant Director, Agronomy, Aurangabad	District Level
05	Sri Haresh Kumar	Mines Development Officer, Aurangabad	District Level
06	Miss. Antra Kumari	Assistant Disaster Management Officer, Aurangabad	District Level
07	Sri Ranjnikant Bharti	Sub-divisional Agriculture Officer, Daudnagar	Sub-division Level
08	Sri Arun Kumar Singh	CO, Aurangabad	Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Jdt04.08.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 5th August 2025

No. XI-K-रा०-03/2024-130---In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.-450, dated- 29.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Sanjay Kumar	DWO, Jehanabad	District Level
02	Sri Dilip Kumar Pathak	Suprintendent, Excise & Prohibition, Jehanabad	District Level
03	Smt. Sarswati Devi	DEO, Jehanabad	District Level
04	Sri Subodh Kumar	District Planning Officer, Jehanabad	District Level
05	Miss. Vijeta Ranjan	Assistant Director, District Disability Empowerment Officer, Jehanabad	District Level

06	Smt. Smriti	District Development Officer, Jehanabad	District Level
07	Sri Birendra Singh	Subdivisional Agriculture Officer, Jehanabad	Sub-division Level
08	Sri Kumar Rajan	BCO, Jehanabad	Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt04.08.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 25th August 2025

No. XI-K-रा०-01/2024-144---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-821, dated- 04.08.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Sonu Jaiswal	Assistant Director, Agriculture Engineering, Aurangabad	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 18.08.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 25th August 2025

No. XI-K-रा०-01/2024-145---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-806, dated- 28.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Pranav Kumar	DCLR, Daudnagar	Sub-division Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 18.08.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 25th July 2025

No. XI-K-रा०-01/2024-119---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-775, dated- 18.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Amit Rajan	SDO, Daudnagar	Subdivisional Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 24.07.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

The 13th September 2025

No. XI-K-रा०-01/2024-160---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-878, dated- 09.09.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Ankit Kumar	District Minority Welfare Officer, Aurangabad	District Level
2	Sri Abhishek Kumar	District Welfare Officer, Aurangabad	District Level
3	Sri Anuj Kumar	CO, Aurangabad	Circle Level
4	Sri Ravi Kumar Raushan	District Program Officer (MDM), Aurangabad	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 13.09.2025

By Order,
Sd./Illegible,
Secretary to Commissioner,
Magadh Division, Gaya Ji.

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 सितम्बर 2025

सं० 2 स्था०-251/2020-2854 /वि०स०।--श्री आजाद कुमार, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर-13 में प्रतिमाह अंके-1,42,700/-रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियमावली, 1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कडिका-G के अंतर्गत

ब्लॉक वर्ष 2022-2025 में एल०टी०सी० सुविधा के तहत सपरिवार के साथ दिनांक-04.10.2025 से 08.10.2025 तक पटना से गोवा एवं गोवा से पटना तक की यात्रा की स्वीकृति के साथ दिनांक-06.10.2025 से 08.10.2025 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-04.10.2025 एवं 05.10.2025 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने के साथ ही उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 32—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1077—I, Shalu Rani W/o Shubham Tiwari R/o CMS School New Bank Colony, Adampur, Jagdishpur, P.O. Distt.-Bhagalpur, Bihar-812001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 14741 dt. 22.04.25 that my name is written in my Aadhar Card as Shalu Sharma whereas in educational documents written as Shalu Rani. Both the name are of same and one person. From now I will be known as Shalu Rani for all purposes.

Shalu Rani.

No. 1078—I, MD MERAJ, s/o NABI HASAN am a resident of village Malpatti, Post.—Kanaur, P.S. -Kamtaul, Distt.-Darbhanga, Bihar-847306. Do hereby solemnly affirm and declare that my name MD MERAJ is mentioned in my all-matriculation educational documents, which is true and correct. But, in my Aadhar card my name is mistakenly mentioned as MOHD MIRAJ. Here, I want to convey that both the names belong to the same person i.e. me. And from now in my future, I will be known as **MD MERAJ** for all legal purposes. **AFFIDAVIT NO. – 28589.**

MD MERAJ.

No. 1080—I Deep Raj S/o Ramesh Kumar R/O Mubarakganj, Sasaram, Rohtas, Bihar-821115 declare vide Affidavit No. 2613 dated 31.07.2025 that in my matriculation certificates my name incorrectly mentioned as DEEPRAJ. That my correct name is mentioned in my aadhar card as Deep Raj. That instead of DEEPRAJ I shall be known as Deep Raj for all purposes.

Deep Raj.

No. 1090—I, RANDHIR Kumar S/o Gagandev Pandey, R/o Vill. Repura, PO Susta Mohammadpur, PS-Sakra, Dist. Muzaffarpur affirm & declare vide affidavit no. 01/42, dt. 08.10.25 that in my daughter's aadhar card (No. 6150 6451 1805) wrongly mentioned her name as Kausaki Kumari but her correct name is Kaushiki Kumari which is mentioned in her all documents. I need correction in my daughter's aadhar according to the certificate.

RANDHIR Kumar.

No. 1091—I, Kanak Kumari D/o Ram Bilas Ram W/o Gopal Krishan Singh R/o B-501, Vimal Twin Tower, Survey No.-176/2/1, Kate Nagar Pimple Saudagar pune Maharashtra-411027 Present R/0 Flat No.-21, Gaurav Apartment, Shashtri Nagar, Patna, Bihar-800023 do hereby solemnly affirm and decalre as per aff. No.-3411, dt. 27.09.2025 that my name is written in my educational documents as Kanak Kumari. Whereas in Aadhar Card, Pan Card and Passport written as Kanak Singh. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kanak Singh for all purposes.

Kanak Kumari.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 08/शि०पु०-13/2006—861

शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

28 अगस्त 2025

विषय:— राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025—26 से 15,000/—(पन्द्रह हजार रुपये) से बढ़ाकर 30,000/—(तीस हजार रुपये) प्रदान करने के संबंध में।

शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के आधार पर राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय/राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति—शिक्षा विभाग) के संकल्प संख्या 672 दिनांक 11.04.2007 द्वारा राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में 30,000/—(तीस हजार रुपये) तथा राजकीय पुरस्कार के रूप में 15,000/—(पन्द्रह हजार रुपये) का निर्धारण वर्ष 2007 में ही किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार की राशि अलग से दी जाती है। राजकीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को दी जाने वाली एकमुश्त राशि 15,000/—(पन्द्रह हजार रुपये) में सम्मानजनक वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन था, ताकि यह शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने तथा उनका उत्साह वर्द्धन में सहायक हो।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि 15,000/—(पन्द्रह हजार रुपये) को बढ़ाकर 30,000/—(तीस हजार रुपये) प्रदान की जाय।

2. इस संकल्प में किये गए प्रावधान के अतिरिक्त किसी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश प्रभावी माने जायेंगे।

3. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र/आदेश को इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. यह संकल्प वित्तीय वर्ष 2025—26 से प्रभावी होगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

आदेश से,
अमित कुमार पुष्पक, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 32—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>